

अनुसूची
(विनियम 3 देखें)

- फार्म जीआर** : भौतिक रूप में सॉफ्टवेयर का निर्यात अर्थात् मैग्नेटिक टेप/ डिस्क और पेपर मीडिया सहित अन्य निर्यात हेतु दो प्रतियों में भरा जाए।
- फार्म एसडीएफ** : दो प्रतियों में भरा जाए और केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित सीमा शुल्क कार्यालय को घोषित निर्यातों के लिए पोतलदान बिल के साथ संलग्न किया जाए जिसने बिल की छटाई के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित पोतलदान इलेक्ट्रॉनिक डाटा इन्टरचेंज प्रणाली शुरू की है।
- फार्म पीपी** : डाक द्वारा निर्यात के लिए दो प्रतियों में भरा जाए।
- फार्म सॉफ्टेक्स** : भौतिक रूप अर्थात् मैग्नेटिक टेप/ डिस्क अथवा पेपर मीडिया से अन्यथा सॉफ्टवेयर के निर्यात के घोषणा के लिए तीन प्रतियों में भरा जाए।

1. मार्च 25, 2004 की अधिसूचना सं. फेमा.116/2004-आरबी द्वारा संशोधित।
2. अक्टूबर 29, 2003 की अधिसूचना सं. फेमा.107/2003-आरबी द्वारा संशोधित।
3. अगस्त 27, 2003 की अधिसूचना सं. फेमा.99/2003-आरबी द्वारा संशोधित।
4. मार्च 13, 2004 की अधिसूचना सं. फेमा 114/2004-आरबी द्वारा संशोधित।

फार्म जीआर, एसडीएफ, पीपी और सॉफ्टेक्स
विदेशी मुद्रा नियंत्रण घोषणा (जीआर) फॉर्म संख्या
मूल

निर्यातक	बीजक क्र.और तारीख	एसबी संख्य और तारीख
	एआर4/एआर4ए क्र और तारीख	
	क्यू./प्रमाणपत्र क्र. और तारीख	निर्यातक-आयातक कूट क्र.
परेषिती	निर्यात व्यापार नियंत्रण	

		यदि निर्यात निम्नलिखित के अंतर्गत
		आस्थगित ऋण
		संयुक्त उद्यम

				रुपया ऋण	
				अन्य	
				भारिबैंक का अनुमोदन/परिपत्र क्र और तारीख	
कस्टम हाउस एजेंट	साख पत्र क्र.				
निम्नलिखित द्वारा पूर्व वहन	पूर्व वाहक द्वारा प्राप्ति स्थान				
पोत/फ्लाइट क्र.	रोटेशन क्र.			पोतल दान की किस्म	
				आउट राइट विक्री	
				कन्साइनमेंट निर्यात	
				अन्य(विनिर्दिष्ट करें)	
	लदान पोर्ट	संविदा किस्म		/सी एण्ड एफ	/एफओबी
		सीआइएफ			
		अन्य (विनिर्दिष्ट करें)			

	डिस्चार्ज पोर्ट	गंतव्य देश	सीए की धारा 14 के अंतर्गत बीजक की मुद्रा की विनिमय दर			
क्रम सं.	चिह्न और क्र.	कंटेनर सं.	सं. और पैकेजों की किस्म	माल की सांख्यिकीय कूट और विवरण	मात्रा	एफओबी मूल्य
	निवल भार					
	सकल भार					

कुल एफओबी मूल्य शब्दों में						
निर्यात मूल्य का विश्लेषण	मुद्रा	राशि	कुल निर्यात मूल्य अथवा जहां निश्चित न किया जा सके वहां निर्यातक द्वारा माल की विक्री से प्राप्त होने वाला अनुमानित मूल्य			
एफओबी मूल्य दुलाई बीमा			मुद्रा			
कमीशन दर						
छूट अन्य कटौतियां			राशि			

विदेशी मुद्रा नियंत्रण घोषणा (जीआर) फॉर्म क्र.

क्या निर्यात साख पत्र व्यवस्था के अंतर्गत है ?	हां	नहीं	कस्टम के लिए			
यदि हां तो भारत में सूचना दाता बैंक का नाम			कस्टम का निर्धार्य मूल्य रुपया			
			(रुपए)			
बैंक जिसके माध्यम से भुगतान प्राप्त किया जाना है			निर्यात मूल्य का सत्यापन किया गया			
			कस्टम का मूल्यांकनकर्ता			
क्या भुगतान एशिआई समाशोधन संघ के माध्यम से प्राप्त होना है ? हां /नहीं			पोतल दान की तारीख	कस्टम का मूल्यांकनकर्ता		
विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 के अंतर्गत घोषणा: मैं/हम एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिस माल के संबंध में यहां जो घोषणा की है मैं/हम उसके विक्रेता/कन्साइनर हूँ/हैं और ऊपर दिए गए विवरण सही हैं और यह कि (क)* क्रेता के साथ किए गए करार का मूल्य वही है जो कि पिछले पृष्ठ पर पूर्ण निर्यात मूल्य की घोषणा की गई है/ (ख)* माल के पूर्ण निर्यात मूल्य का निर्धारण निर्यात के समय नहीं किया जा सकने वाला और घोषित किया गया मूल्य वही है जो मुझे/हमें प्रचलित बाजार की परिस्थितियों के आधार पर समुद्रपारीय बाजार में बेचने से प्राप्त होने वाला अनुमानित मूल्य है।						

<p>मैं/हम वचन देता हूँ/देते हैं कि यहां नामित बैंक को माल के पूर्ण निर्यात मूल्य की कुल विदेशी मुद्रा @-----तक या उससे पहले@अधिनियम के तहत विनियमावली में निर्धारित तरीके से सौंप दूंगा/देंगे। मैं/हम यह भी घोषित करता करते हूँ/हैं कि मैं/हम भारत में निवासी हूँ/हैं और मेरे/हमारे पास भारत में कारेबार करने का स्थान है।</p>	
<p>मैं/हम * भारतीय रिज़र्व बैंक की सतर्कता सूची में नहीं हूँ/हैं।</p>	
<p>तारीख-----</p>	<p>(निर्यातक के हस्ताक्षर)</p>
<p>@सुपुर्दगीकी उपयुक्त तारीख बताएं जो कि पोतल दान की तारीख से छः महीने के भीतर होनी चाहिए परंतु भारत से बाहर खोले गये वेयरहाउसों के लिए रिज़र्व बैंक की अनुमति से सुपुर्दगी की तारीख से 15 महीने के भीतर होनी चाहिए।</p>	
<p>* जो लागू न हो काट दें।</p>	
<p style="text-align: center;">भारतीय रिज़र्व बैंक के उपयोग के लिए</p>	

**विदेशी मुद्रा नियंत्रण घोषणा (जीआर) फॉर्म की क्रम संख्या
दूसरी प्रति**

निर्यातक	बीजक क्र. और तारीख	एसबी क्र. और तारीख
	एआर4/एआर4ए क्र और तारीख	
	क्यू./प्रमाणपत्र क्र. और तारीख	निर्यातक-आयातक कूट क्र.
परेषिती	निर्यात व्यापार नियंत्रण	

		यदि निर्यात निम्नलिखित के अंतर्गत	
		आस्थगित ऋण	
		संयुक्त उद्यम	
		रुपया ऋण	
		अन्य	
कस्टम हाउस एजेंट	साख पत्र क्र.	भारि बैंक का अनुमोदन/परिपत्र क्रं और तारीख	
निम्नलिखित द्वारा पूर्व वहन	पूर्व वाहक द्वारा प्राप्ति स्थान	पोतल दान की किस्म	
		आउट राइट बिक्री	
		कन्साइनमेंट निर्यात	
		अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	
पोत/फ्लाइट क्र.	रोटेशन क्र.		
	लदान पोर्ट	संविदा किस्म:सीआईएफ	/सी एण्ड एफ
		अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	/एफ ओ बी

डिस्चार्ज पोर्ट		गंतव्य देश	सीए की धारा 14 के अंतर्गत बीजक की मुद्रा की विनिमय दर			
क्र. सं.	चिह्न और क्र.	कंटेनर सं.	सं. और पैकेजों की किस्म	माल की सांख्यिकीय कूट और उसका	मात्रा	एफओबी मूल्य

				विवरण		
	निवल भार					
	सकल भार					

	कुल एफओबी मूल्य शब्दों में					
	निर्यात मूल्य का विश्लेषण	मुद्रा राशि	कुल निर्यात मूल्य अथवा जहां निश्चित न किया जा सके वहां निर्यातक द्वारा माल की विक्री से प्राप्त होने वाला अनुमानित मूल्य			
	एफओबी मूल्य					
	दुलाई					
	बीमा		मुद्रा			
	कमीशन दर					
	छूट		राशि			
	अन्य कटौतियां					

विदेशी मुद्रा नियंत्रण घोषणा (जीआर) फॉर्म की क्रम संख्या

क्या निर्यात साख पत्र व्यवस्था के अंतर्गत है ?	हां		नहीं		कस्टम के लिए
यदि हां तो भारत में सूचना दाता बैंक का नाम					कस्टम का निर्धार्य मूल्य रुपया
					(रुपए
जिस बैंक के माध्यम से भुगतान प्राप्त किया जाना है					
					निर्यात मूल्य का सत्यापन किया गया
					कस्टम का मूल्यांकनकर्ता
					पूर्णतः/ अंशतः पोतलदान
					मात्रा
					मूल्य
क्या भुगतान एशिआई समाशोधन संघ के माध्यम से प्राप्त होना है ? हां / नहीं					पोतल दान की तारीख
					कस्टम का मूल्यांकनकर्ता

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 के अंतर्गत घोषणा: मैं/हम एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिस माल के संबंध में यहां जो घोषणा की है मैं/हम उसके विक्रेता/कन्साइनर हूँ/हैं और ऊपर दिए गए विवरण सही हैं और यह कि (क)* क्रेता के साथ किए गए करार का मूल्य वही है जो कि पिछले पृष्ठ पर पूर्ण निर्यात मूल्य की घोषणा की गई है/ (ख)* माल के पूर्ण निर्यात मूल्य का निर्धारण निर्यात के समय नहीं किया जा सकने वाला और घोषित किया गया मूल्य वही है जो मुझे/हमें प्रचलित बाजार की परिस्थितियों के आधार पर समुद्रपारीय बाजार में बेचने से प्राप्त होने वाला अनुमानित मूल्य है।	
मैं/हम वचन देता हूँ/देते हैं कि यहां नामित बैंक को माल के पूर्ण निर्यात मूल्य की कुल विदेशी मुद्रा ----- -तक या उससे पहले@ अधिनियम के तहत विनियमावली में निर्धारित तरीके से सौंप दूंगा/देंगे। मैं/हम यह भी घोषित करता करते हूँ/हैं कि मैं/हम भारत में निवासी हूँ/हैं और मेरे/हमारे पास भारत में कारेबार करने का स्थान है।	
मैं/हम * भारतीय रिजर्व बैंक की चेतावनी-सूची में नहीं हूँ/हैं।	
तारीख----- (निर्यातक के हस्ताक्षर)	
@सुपुर्दगीकी उपयुक्त तारीख बताएं जो कि पोतल दान की तारीख से छः महीने के भीतर होनी चाहिए परंतु भारत से बाहर स्थापित वेयर हाउसों के लिए रिजर्व बैंक की अनुमति से सुपुर्दगीकी तारीख 15 महीने के भीतर होनी चाहिए।	
* जो लागू न हो काट दें।	
प्राधिकृत व्यापारी के उपयोग के लिए	
समान	कूट
क्र.	

*बॉक्स में उल्लेख करें [□]			
बेचान की तारीख	*(i)	(ii) वसूली के लिए रसीद	बिल सं.

बिल की किस्म	*(i)	(ii) डीपी	(iii) अन्य		
डीए			(विनिर्दिष्ट करें)		
पोतल दान की किस्म	*(i) फर्म विक्री संविदा		(ii) कन्साइनमेंट आधार पर		
	(iii) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)				
रिजर्व बैंक को भेजी गई आर विवरणी के साथ जीआर फॉर्म शामिल किया गया था, _____ को समाप्त पक्ष के लिए, _____ (दिनांक) को प्रेषित					
हम प्रमाणित और पुष्टि करते हैं कि हमें निम्नप्रकार से _____ (मुद्रा) (राशि) की कुल राशि इस फॉर्म पर घोषित निर्यात के लिए प्राप्त हुई है।					

प्राप्ति तारीख	मुद्रा	देश में नास्रो खाते में जमा		देश में एनआर रुपए खाते में नामे		आर विवरणी की अवधि जिसके द्वारा उगाही की सूचना भारतीय रिजर्व बैंक को दी जा चुकी है।
		हमारे नाम में	के नाम में *	हमारे पास धारित	* के पास धारित	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

(* संबंधित भारतीय प्राधिकृत व्यापारी शाखा का नाम लिखें)

प्राप्ति का कोई और तरीका (उल्लेख करें).....

 (प्राधिकृत व्यापारी के हस्ताक्षर और मुहर) तारीख पता.....
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपयोग के लिए स्थान	

एसडीएफ

[विनियम 3(1) देखें]

(दो प्रतियों में)

पोत-परिवहन बिल सं. -----

दिनांक :-----

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अन्तर्गत घोषणा :

मैं/हम इसके द्वारा घोषित करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम उन माल के विक्रेता/माल परेषक हूँ/हैं जिनके संबंध में यह घोषणा की जाती है कि दिनांक-----के पोत-परिवहन बिल सं._____ में दिये गये विवरण सत्य और सही हैं और यह कि (क)* क्रेता के साथ हुए संविदा के अनुसार मूल्य वही मूल्य है जो उपर्युक्त पोत-परिवहन बिल में घोषित पूर्ण निर्यात मूल्य है (ख)* निर्यात के समय माल का पूर्ण निर्यात मूल्य नहीं आंका जा सकता है और यह कि घोषित मूल्य वह मूल्य है जो मैं/हम, प्रचलित बाजार हालात में, विदेश स्थित बाजार में माल के विक्रय से प्राप्त करने की आशा करता हूँ/करते हैं ।

मैं/हम यह वचन देता हूँ/देते हैं कि मैं/हम यहां उल्लिखित बैंक _____ में माल के पूर्ण निर्यात मूल्य की विदेशी मुद्रा, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अन्तर्गत निर्मित विनियमावली में निर्दिष्ट तरीके से _____ @ को/तक सुपुर्द कर दूंगा/देंगे । मैं/हम यह भी घोषित करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम भारत में रहता हूँ/रहते हैं और भारत में मेरा/हमारा व्यवसाय का अपना स्थान है ।

मैं/हम भारतीय रिज़र्व बैंक की चेतावनी-सूची में हूँ/हैं अथवा नहीं हूँ/नहीं हैं ।

तारीख :

(निर्यातक के हस्ताक्षर)

@ सुपुर्दगी की सही तारीख बतायें जो भुगतान की नियत तारीख हो अथवा पोत-लदान की तारीख से छह महीने के अन्दर की तारीख होनी चाहिए, सिर्फ भारत से बाहर स्थित गोदामों को रिजर्व बैंक की अनुमति से किये गये निर्यातों के लिए सुपुर्दगी की तारीख 15 महीने के अन्दर होनी चाहिए ।

* जो लागू नहीं हो उसे काट दें ।

प्राधिकृत व्यापारी के उपयोग के लिए

यूनीफार्म कूट संख्या _____

i) सौदे की तारीख _____

ii) वसूली के लिए प्राप्ति की तारीख _____

iii) बिल सं. _____ की तारीख _____

* बिल के प्रकार (i) डीए [] मी ([] म्य [] (निर्दिष्ट करें)

* पोत-लदान के प्रकार (i) पक्का बिक्रय संविदा [] (ii) माल परेषण आधार []
(iii) अन्य [] (निर्दिष्ट करें)

* लागू बॉक्स में (□) निशान लगाएं

_____ को समाप्त पखवाड़े के लिए दिनांक _____ को प्रेषित 'आर-विवरणी' के साथ रिजर्व बैंक को प्रेषित विवरण में एसडीएफ फार्म शामिल था ।

हम यह प्रमाणित व पुष्टि करते हैं कि इस फार्म में घोषित निर्यात की प्राप्तियों के रूप में हमने निम्नानुसार _____ (मुद्रा) (राशि) की कुल राशि प्राप्त की है ।

प्राप्ति की तारीख	मुद्रा	_____ (देश) में नोस्ट्रो खाते में जमा		_____ (देश) में बैंक के अनिवासी रुपया खाते में नामे		'आर -विवरणी' की वह अवधि जिसमें रिजर्व बैंक को वसूली सूचित की गयी है ।
		हमारे नाम में	** के नाम में	हमारे पास रखा	** के पास रखा	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

(** भारतीय प्राधिकृत व्यापारी की संबंधित शाखा का नाम लिखें)
प्राप्ति की कोई अन्य पद्धति (स्पष्ट करें) _____

(प्राधिकृत व्यापारी के हस्ताक्षर और मुहर)

तारीख : _____

पता : _____

रिज़र्व बैंक के उपयोग के लिए

--

फार्म : पीपी

विदेशी मुद्रा नियंत्रण

(निर्यातक की घोषणा)

मूल रूप में

फार्म सं. :

(कृपया "निर्यातकों को नोट" देखें)

1. (क)	डाकघर का नाम	
(ख)	पार्सल रसीदों की संख्या और तारीख	
2.	निर्यातक का नाम	(भारिबैंक के प्रयोगार्थ)
3.	आयातक/निर्यातक की कूट संख्या	
4.	क्रेता/परेषिती का नाम और पता	
5.	गंतव्य देश	
6.	संविदा का स्वरूप * (i) सीआइएफ/ (ii)सीएण्डएफ/ (iii),एफओबी/(iv) अन्य (निर्दिष्ट करें)	
7.	प्रेषण की तारीख	
8.	पोतलदान का प्रकार * (i) सीधे बिक्री/ (ii) प्रेषण निर्यात/(iii)अन्य निर्दिष्ट करें	
9.	माल का ब्योरा	
10.	माल की मात्रा : यूनिट ^G मात्रा... ..	
11.	बीजक की करेंसी	
	^G टन/किलोग्राम/लीटर/क्यूबिक मीटर/वर्गमीटर/मीटर/संख्या/अन्य (निर्दिष्ट करें)	

@	जहां निर्यात का सकल मूल्य सुनिश्चित न किया जा सके वहां विदेशी बाजार में माल के विक्रय से प्राप्त होने वाला मूल्य बताया जाए ।	12.निर्यात मूल्य का विश्लेषण		
इस फॉर्म में घोषित किए बिना प्रेषण/एजेसी कमीशन की वजह से घोषित मूल्य से कटौती और/छूट के लिए रिजर्व बैंक अथवा प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा किसी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा ।		ब्योरे	करेंसी	राशि
		@ सकल निर्यात मूल्य		
		एफओबी मूल्य		
		किराया		
		बीमा		
		<input type="checkbox"/> छूट (दर)		
	<input type="checkbox"/> एजेसी कमीशन (दर...)			
* देखें एफईएम (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2000				

	(सीमा शुल्क के प्रयोगार्थ) निर्यात मूल्य सत्यापित (सीमा शुल्क मूल्यांकनकर्ता)	13. निर्धारित सीमाशुल्क मूल्य (रुपये)		
14.	यदि निर्यात भारतीय रिजर्व बैंक की सामान्य अनुमति से किया गया है तो उसके अनुमोदन की संख्या व तारीख			
15.	यदि निर्यात साखपत्र व्यवस्था के अंतर्गत किया गया है तो भारत में सूचना देनेवाला बैंक			
16.	यदि भुगतान एशियन समाशोधन यूनियन के माध्यम से प्राप्त होना है तो लिखे : * हां/नहीं			
17.	बैंक का नाम व पता जिसके माध्यम से भुगतान प्राप्त किया जाना है ।			

मैं/हम घोषणा करता/करते हैं कि जिस माल के बारे में घोषणा की गई है मैं/हम उसके विक्रेता/परोक्ष हूँ/हैं और उपर्युक्त ब्योरे सत्य हैं और यह कि * (क) क्रेता के साथ हुई संविदा के अनुसार निर्यात का मूल्य उपर्युक्त घोषित सकल निर्यात मूल्य के समान है/* (ख) निर्यात के समय माल का सकल निर्यात मूल्य सुनिश्चित नहीं किया जा सका और यह कि घोषित मूल्य वह मूल्य है जो मैंने/हमने मौजूदा बाजार स्थितियों को ध्यान में रखते हुए विदेशी बाजार में माल के विक्रय से प्राप्त होने की अपेक्षा की है ।

मैं/हम वचन देता/देते हूँ/हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन रूल्स 1974 के नियम 9 में निर्दिष्ट तरीके से विदेशी मुद्रा जो माल का सकल निर्यात मूल्य है, उपर्युक्त नामांकित बैंक को दिनांक + _____ को या उससे पहले सुपुर्द कर दूंगा/देंगे । मैं/हम यह भी घोषणा करता/करते हूँ/हैं कि मैं/हम भारत के निवासी हूँ/हैं और मेरा/हमारा भारत में कारोबार स्थल है ।

मैं/हम* भारतीय रिजर्व बैंक की सावधानी सूची में हूँ/हैं/नहीं हूँ/नहीं हैं ।

+ सुपुर्दगी की वह लगभग तारीख बताएं जो भुगतान की देय तारीख हो अथवा पोतलदान की तारीख से छह महीने के भीतर, इनमें से जो भी पहले हो ।

* जो लागू न हो उसे काट दें ।

	(प्राधिकृत व्यापारियों के प्रयोग के लिए)		
		(निर्यातक के हस्ताक्षर)	
	प्राधिकृत व्यापारी की मुहर व हस्ताक्षर	तारीख	
	तारीख	पता	
	बैंक की समरूप कूट सं.		

निर्यातकों के लिए टिप्पणी :

1.	इस फार्म को पार्सल पर न चिपकाया जाए ।
2.	पीपी फार्म की क्रियाविधि नेपाल और भुटान को छोड़कर भारत के बाहर सभी क्षेत्रों को किए जाने वाले पोस्टल निर्यात पर लागू होंगे।
3.	इसकी मूल प्रति निर्यात द्वारा उस पर विदेशी मुद्रा हेतु प्राधिकृत व्यापारी से प्रतिहस्ताक्षर होने के बाद डाकघर को प्रस्तुत की जाए। डाकघर जिसके माध्यम से माल भेजा गया है वह उसे अपने नजदीकी भारतीय रिजर्व बैंक कार्यालय को भेजेगा।
4.	भारत से निर्यात किए गए माल से संबंधित सभी दस्तावेज भारत में माल के पोतलदान की तारीख से 21 दिन के भीतर विदेशी मुद्रा हेतु प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से पारित किए जाएं।
5.	माल के सकल निर्यात मूल्य की रकम की वसूली भुगतान के लिए नियत तारीख को अथवा पोतलदान की तारीख से छह महीने की भीतर, जो भी पहले हो, हो जानी चाहिए।
टिप्पणी	भारत सरकार/भारतीय वित्तीय संस्थाएं निर्दिष्ट तरीकों से, देशों से कतिपय भुगतानों के निपटान हेतु अथवा सरकार से सरकार को ऋण के माध्यम से वित्तपोषित निर्यात हेतु समय-समय पर अन्य देशों के साथ विशेष व्यापार समझौते का निर्णय ले सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ऐसी व्यवस्था की सूचना प्राधिकृत व्यापारियों को परिपत्र जारी करके देगा। ऐसे मामलों में व्यक्तिगत व्यवस्थाओं में निर्दिष्ट भुगतान-प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।
भारतीय रिजर्व बैंक के उपयोग के लिए	

फार्म : पीपी

विदेशी मुद्रा नियंत्रण

(निर्यातक की घोषणा)

दूसरी प्रति

फार्म सं. :

(अगले पृष्ठ पर "निर्यातकों को नोट" देखें)

1.(क)	डाकघर का नाम	(भारिबैंक के प्रयोग के लिए)			
(ख)	पार्सल रसीदों की संख्या और तारीख				
2.	निर्यातक का नाम				
3.	आयातक/निर्यातक की कूट संख्या				
4.	क्रेता/परेषिती का नाम और पता				
5.	गंतव्य देश				
6.	संविदा का स्वरूप * (i) सीआइएफ/ (ii)सीएण्डएफ/ (iii),एफओबी/(iv) अन्य (निर्दिष्ट करें)				
7.	प्रेषण की तारीख				
8.	पोतलदान का प्रकार * (i) सीधे बिक्री/ (ii) परेषण निर्यात/(iii)अन्य निर्दिष्ट करें				
9.	माल का ब्योरा				

10.	माल की मात्रा : यूनिट \diamond मात्रा... ..	
11.	बीजक की करेंसी	
	+ टन/किलोग्राम/लीटर/क्यूबिक मीटर/वर्गमीटर/मीटर/संख्या/अन्य (निर्दिष्ट करें)	

@	जहां निर्यात का सकल मूल्य सुनिश्चित न किया जा सके वहां विदेशी बाजार में माल के विक्रय से प्राप्त होने वाला मूल्य बताया जाए ।	12.	निर्यात मूल्य का विश्लेषण		
			ब्योरे	करेंसी	राशि
			@ सकल निर्यात मूल्य		
ॐ	इस फॉर्म में घोषित किए बिना प्रेषण/एजेंसी कमीशन की वजह से घोषित मूल्य से कटौती और/छूट के लिए रिजर्व बैंक अथवा प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा किसी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा ।	एफओबी मूल्य			
		किराया			
		बीमा			
		ॐ छूट (दर)			
		ॐ एजेंसी कमीशन (दर...)			
	(सीमा शुल्क के प्रयोगार्थ)	13	निर्धारित सीमाशुल्क मूल्य (रुपये)		
	निर्यात मूल्य सत्यापित				
	(सीमा शुल्क नियत कार्य)				
14.	यदि निर्यात भारतीय रिजर्व बैंक की सामान्य अनुमति से किया गया है तो उसके अनुमोदन की संख्या व तारीख				
15.	यदि निर्यात साखपत्र व्यवस्था के अंतर्गत किया गया है तो भारत में सूचना देनेवाला बैंक				
16.	यदि भुगतान एशियन समाशोधन यूनियन के माध्यम से प्राप्त होना है तो लिखे : * हां/नहीं				
17.	बैंक का नाम व पता जिसके माध्यम से भुगतान प्राप्त किया जाना है ।				

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि जिस माल के बारे में घोषणा की गई है मैं/हम उसके विक्रेता/परेषक हूँ/हैं और उपर्युक्त ब्योरे सत्य हैं और यह कि * (क) क्रेता के साथ हुई संविदा के अनुसार निर्यात का मूल्य उपर्युक्त घोषित सकल निर्यात मूल्य के समान है/* (ख) निर्यात के समय माल का सकल निर्यात मूल्य सुनिश्चित नहीं किया जा सका और यह कि घोषित मूल्य वह मूल्य है जो मैंने/हमने मौजूदा बाजार स्थितियों को ध्यान में रखते हुए विदेशी बाजार में माल के विक्रय से प्राप्त होने की अपेक्षा की है ।

मैं/हम वचन देता/देते हूँ/हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन रूल्स 1974 के नियम 9 में निर्दिष्ट तरीके से विदेशी मुद्रा जो माल का सकल निर्यात मूल्य है, उपर्युक्त नामांकित बैंक को दिनांक + _____ को या उससे पहले सुपुर्द कर दूंगा/देगे । मैं/हम यह भी घोषणा करता/करते हूँ/हैं कि मैं/हम भारत के निवासी हूँ/हैं और मेरा/हमारा भारत में कारोबार स्थल है ।

मैं/हम भारतीय रिजर्व बैंक की सावधानी सूची में हूँ/हैं/नहीं हूँ/नहीं हैं ।

+ सुपुर्दगी की वह लगभग तारीख बताएं जो भुगतान की देय तारीख हो अथवा पोतलदान की तारीख से छह महीने के भीतर, इनमें से जो भी पहले हो ।

* जो लागू न हो उसे काट दें ।

(प्राधिकृत व्यापारियों के प्रयोग के लिए)			
		(निर्यातक के हस्ताक्षर)	
प्राधिकृत व्यापारी की मुहर व हस्ताक्षर		तारीख	
तारीख		पता	
बैंक का यूनीफॉर्म कोड नंबर			
टिप्पणी	भारत से निर्यात किये गये माल से संबंधित सभी दस्तावेज, माल के पोतलदान की तारीख से 21 दिन के भीतर भारत में विदेशी मुद्रा हेतु प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से पारित किए जाएं ।		

प्राधिकृत व्यापारियों के प्रयोग के लिए

यूनीफॉर्म कोड नंबर-----

* (i) समझौता/ (ii) बिल सं. -----की-----वसूली रसीद तारीख

* जो लागू न हो उसे काट दें	बिल का प्रकार * डीए/ (ii) डीपी/ (iii) अन्य -----
	पोतलदान का प्रकार * (i) फर्म विक्रय संविदा/ (ii) परेषण आधार पर/ (iii) अन्य (निर्दिष्ट करें)
	पीपी फॉर्म, रिजर्व बैंक को ----- को समाप्त पखवाड़े की भेजी गई आर विवरणी के ब्योरे के साथ दिनांक ----- को भेज दिया गया ।

हम प्रमाणित तथा पुष्टि करते हैं कि हमें इस फार्म में घोषित निर्यात आगम की कुल राशि ----- (मुद्रा) ----- राशि निम्नानुसार प्राप्त हुई ।

प्राप्ति दिनांक	करेंसी	_____ (देश) में नॉस्ट्रो खाते में जमा		_____ (देश) में बैंक के अनिवासी रुपया खाते में नामे		आर विवरणी की अवधि जिसमें वसूली की सूचना निम्नलिखित को दी गयी
		हमारे नाम में	निम्न के नाम में ₹	हमारे पास धारित	निम्न के पास धारित	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

(₹ भारतीय प्राधिकृत व्यापारी शाखा का नाम लिखें) । प्राप्ति का कोई अन्य तरीका (स्पष्ट करें)

(प्राधिकृत व्यापारी की मुहर तथा
हस्ताक्षर)

दिनांक :
पता

प्राधिकृत व्यापारी के लिए टिप्पणी :

1.	कृपया सुनिश्चित करें कि पीपी फार्म के प्रथम पृष्ठ के सभी स्तंभ निर्यातक द्वारा भरे गए हों और जहाँ कहीं आवश्यक हो पोस्टल प्राधिकारी द्वारा विधिवत् प्रमाणित किया गया हो।
2.	इस फार्म में घोषित पोतलदान के पूर्ण निर्यात मूल्य की प्राप्ति पर प्राधिकृत व्यापारी सीमा शुल्क अभिप्रमाणित पोतवाले के बीजक की प्रति के साथ विधिवत् अभिप्रमाणित फार्म की यह दूसरी प्रति रिज़र्व बैंक को भेजेगा। परेषण आधार पर किए गए पोतलदान के संबंध में वास्तव में वसूले गए प्राप्यों के समर्थन में मूल में परेषिती से प्राप्त लेखा बिक्री भी फार्म के इस प्रति के साथ भेजा जाए।
3.	अगर कुल प्राप्त राशि फार्म पर घोषित पूर्ण निर्यात मूल्य से, बैंक प्रभार से इतर कारण से कम हो तो रिज़र्व बैंक द्वारा इस मामले में जारी निदेशों के अनुसार प्राधिकृत व्यापारियों को प्रदत्त अधिकार या कमी के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति का संदर्भ और तारीख का उल्लेख किया जाए।

भारतीय रिज़र्व बैंक के उपयोग के स्थान

विदेशी मुद्रा नियंत्रण

सॉफ्टवेयर निर्यात घोषणा (सॉफ्टवेक्स) फॉर्म

(डाटा कम्युनिकेशन लिंक के माध्यम से सॉफ्टवेयर निर्यात की
और निर्यात किए गए सॉफ्टवेयर पैकेज/उत्पादों पर रॉयल्टी की प्राप्ति के लिए घोषणा)

फॉर्म नं: एबी

मूल

1. निर्यातक का नाम और पता
2. एसटीपीआई केंद्र, जिसके क्षेत्राधिकार में इकाई स्थित है
3. आयात-निर्यात कूट संख्या
4. निर्यातक का संवर्ग : एसटीपी/ईएचटीपी/ईपीजेड/एसईझेड/100 प्रतिशत
ईओयू/डीटीए इकाई

5. देश और निर्यातक इकाई (यदि कोई हो)
के साथ संबंध सहित
खरीदार का नाम और पता

1. बीजक की तारीख और नंबर

7. क) क्या एसटीपीएल के साथ
निर्यात संविदा/खरीद आदेश
पहले पंजीकृत किया गया है
(यदि 'नहीं' तो कृपया संविदा/
खरीद आदेश की प्रति संलग्न
करें)
- हां

- ख) क्या संविदा में रॉयल्टी के भुगतान
की शर्त अनुबद्ध है
- हाँ हीं

खण्ड - 'अ'

(डाटा कम्युनिकेशन लिंक के माध्यम से निर्यात)

8. प्राधिकृत डाटाकॉम सेवा
प्रदाता का नाम
- एसटीपीआई/वीएसएनएल/डॉट/अन्य
(कृपया विनिर्दिष्ट करें)

9. निर्यात किये गये सॉफ्टवेयर का प्रकार (कृपया बाईं तरफ उचित बॉक्स में '✓' चिह्न लगाएं)

(क) कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर

भारिबै कूट संख्या

डाटा एंट्री कार्य और कन्वर्जन
सॉफ्टवेयर डाटा प्रोसेसिंग

9 0 6

सॉफ्टवेयर विकास

9 0 7

सॉफ्टवेयर उत्पाद, पैकेज

9 0 8

अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

9 0 9

(ख) अन्य सॉफ्टवेयर

वीडिओ/टी.वी. सॉफ्टवेयर

9 1 0

अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

9 1 1

10. निर्यात मूल्य का विश्लेषण

मुद्रा

राशि

(क) संपूर्ण निर्यात मूल्य जिसमें से :-

i) प्रेषण प्रभार के बिना निर्यातों
का सही मूल्य

ii) बीजक में शामिल प्रेषण प्रभार

(ख) प्रेषण प्रभार (यदि विदेश स्थित ग्राहक
द्वारा अलग से देय हो, तो)

(ग) घटाएं : एजेंसी कमीशन,%
की दर पर

(घ) भा.रि.बैं. द्वारा यथा अनुमत अन्य
कोई कटौतियां (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

(ङ) वसूल की जाने वाली राशि
(क +ख) - (ग +घ)

11. निर्यात मूल्य किस प्रकार वसूल किया जाएगा
(वसूली का तरीका)(कृपया उचित बॉक्स पर चिह्न लगाएं)

(क) साखपत्र के अंतर्गत (क) प्राधिकृत व्यापारी का
नाम और पता _____
(ख) प्राधिकृत व्यापारी की
कूट संख्या _____

(ख) बैंक गारंटी (क) प्राधिकृत व्यापारी का
नाम और पता _____
(ख) प्राधिकृत व्यापारी की
कूट संख्या _____

ग) अन्य कोई व्यवस्था, उदाहरण- (क) प्राधिकृत व्यापारी का
स्वरूप अग्रिम भुगतान आदि नाम और पता _____
जिसमें विदेश में रखे गये
(ओवरसीज) बैंक खाते में (ख) प्राधिकृत व्यापारी की
अंतरण/प्रेषण भी शामिल है कूट संख्या _____
(कृपया विनिर्दिष्ट करें)

खण्ड - 'आ'

(निर्यात किये गये सॉफ्टवेयर पैकेजों/उत्पादों पर रॉयल्टी की प्राप्ति के लिए)

12. निर्यात किये गये सॉफ्टवेयर
पैकेज(जों)/उत्पाद(दों) के ब्यौरे

(क) निर्यात की तारीख : _____

(ख) जीआर/पीपी/सॉफ्टवेक्स फॉर्म सं.
जिस पर निर्यात घोषित किये गये थे : _____

(ग) रॉयल्टी करार के ब्यौरे

रॉयल्टी का प्रतिशत और राशि _____

रॉयल्टी करार की अवधि (रॉयल्टी
करार की प्रति संलग्न करें, यदि
पहले पंजीकृत न किया गया हो) _____

13. रॉयल्टी मूल्य किस प्रकार वसूल किया जायेगा
(रॉयल्टी करार में परिभाषित किये गये अनुसार)

14. रॉयल्टी राशि की गणना
(विदेशी ग्राहक से किये गये पत्राचार की प्रति संलग्न करें)

15. भारत में अधिकारिक रूप से नामित प्राधिकृत व्यापारी का नाम
और पता जिसके माध्यम से भुगतान प्राप्त हुआ है/होनेवाला है -प्राधिकृत व्यापारी की कूट सं.

खण्ड - 'इ'

16. **निर्यातक द्वारा घोषणा**

मैं/हम एतद्वारा यह घोषित करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम सॉफ्टवेयर के खरीदार हूँ/हैं जिसके संबंध में घोषणा की गयी है और यह कि ऊपर दिये गये विवरण सही हैं और खरीदार द्वारा प्राप्त होनेवाला मूल्य करार किये गये और ऊपर घोषित निर्यात मूल्य को दर्शाता है। मैं/हम यह भी घोषित करता हूँ/करते हैं कि यह सॉफ्टवेयर प्राधिकृत और विधिसम्मत डाटाकॉम लिंक द्वारा विकसित और निर्यात किया गया है।

मैं/हम यह वचन देता हूँ/देते हैं कि मैं/हम विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत बनाये गये विनियमों में विनिर्दिष्ट तरीके से -----तक अथवा उससे पूर्व (अर्थात् भुगतान की नियत तारीख अथवा बीजक की तारीख/एक माह के भीतर अंतिम बीजक की तारीख, जो भी पहले हो) उपर्युक्त के अनुसार निर्यात किये गये सॉफ्टवेयर का पूरा मूल्य दशनिवाली विदेशी मुद्रा ऊपर दिये गये बैंक को सुपुर्द कर दूंगा/देंगे।

स्थान :
तारीख :

मुहर

निर्यातक के हस्ताक्षर

नाम : _____

पदनाम : _____

संलग्नक :

- (1) निर्यात संविदा की प्रति [7 (क)]
- (2) रॉयल्टी करार की प्रति [12 (ग)]
- (3) विदेशी ग्राहक से पत्राचार की प्रति [14]

**सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से सक्षम प्राधिकारी
(अर्थात् एसटीपीआई/ईपीजेड/एसईजेड) के उपयोग के लिए स्थान**

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर वर्णित सॉफ्टवेयर वास्तविक रूप से प्रेषित किया गया है और निर्यातक द्वारा घोषित निर्यात/रॉयल्टी मूल्य सही पाया गया है और हमारे द्वारा स्वीकार किया गया है।

स्थान :
दिनांक :

(सूचना तकनीकी मंत्रालय की ओर से एसटीपीआई/ ईपीजेड/
एसईजेड के नामित अधिकारी के हस्ताक्षर)

मुहर

नाम : _____

पदनाम : _____

विदेशी मुद्रा नियंत्रण

सॉफ्टवेयर निर्यात घोषणा (सॉफ्टवेक्स) फॉर्म

(डाटा कम्युनिकेशन लिंक के माध्यम से सॉफ्टवेयर निर्यात की घोषणा
और सॉफ्टवेयर पैकेज/निर्यात उत्पादों पर रॉयल्टी की प्राप्ति के लिए)

फॉर्म नं: एबी

तीसरी प्रति

1. निर्यातक का नाम और पता

2. एसटीपीआई केंद्र, जिसके
क्षेत्राधिकार में इकाई स्थित है

3. आयात-निर्यात कूट संख्या

4. निर्यातक का संवर्ग : एसटीपी/ईएचटीपी/ईपीजेड/एसईजेड/100 प्रतिशत
ईओयू/डीटीए इकाई

5. देश का नाम और
निर्यातक इकाई (यदि कोई हो)
के साथ संबंध सहित
खरीदार का नाम और पता,
6. बीजक की तारीख और नंबर
7. क) क्या एसटीपीएल के साथ
निर्यात संविदा/खरीद आदेश
पहले पंजीकृत किया गया है
(यदि 'नहीं' तो कृपया संविदा/
खरीद आदेश की प्रति संलग्न
करें)
- हां
- ख) क्या संविदा में रॉयल्टी के भुगतान
की शर्त अनुबद्ध है
- हाँ हीं

खण्ड - 'अ'

(डाटा कम्युनिकेशन लिंक के माध्यम से निर्यात)

8. प्राधिकृत डाटाकॉम सेवा
प्रदाता का नाम
- एसटीपीआइ/वीएसएनएल/डॉट/इंटरनेट/अन्य
(कृपया विनिर्दिष्ट करें)
9. निर्यात किये गये सॉफ्टवेयर का प्रकार (कृपया बाईं तरफ उचित बॉक्स में '✓' चिह्न लगाएं)

- (क) कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर
- भारिबै कूट संख्या
- डाटा एंट्री कार्य और कन्वर्जन
सॉफ्टवेयर डाटा प्रोसेसिंग
- सॉफ्टवेयर विकास
- सॉफ्टवेयर उत्पाद, पैकेज
- अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
- (ख) अन्य सॉफ्टवेयर
- वीडिओ/टी.वी. सॉफ्टवेयर
- अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

10. निर्यात मूल्य का विश्लेषण

मुद्रा

राशि

(क) संपूर्ण निर्यात मूल्य जिसमें से :-

i) प्रेषण प्रभार के बिना निर्यातों
का सही मूल्य

ii) बीजक में शामिल प्रेषण प्रभार

(ख) प्रेषण प्रभार (यदि विदेश स्थित ग्राहक
द्वारा अलग से देय हो, तो)

(ग) घटाएं : एजेंसी कमीशन,%
की दर पर

(घ) भा.रि.बैं. द्वारा यथा अनुमत अन्य
कोई कटौतियां (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

(ङ) वसूल की जाने वाली राशि
(क +ख) - (ग +घ)

11. निर्यात मूल्य किस प्रकार वसूल किया जाएगा

(वसूली का प्रकार)(कृपया उचित बॉक्स पर चिह्न लगाएं)

(क) साखपत्र के अंतर्गत (क) प्राधिकृत व्यापारी का
नाम और पता _____
(ख) प्राधिकृत व्यापारी की
कूट संख्या _____

(ख) बैंक गारंटी (क) प्राधिकृत व्यापारी का
नाम और पता _____
(ख) प्राधिकृत व्यापारी की
कूट संख्या _____

(ग) अन्य कोई व्यवस्था, उदाहरण- (क) प्राधिकृत व्यापारी का
स्वरूप अग्रिम भुगतान आदि नाम और पता _____
जिसमें विदेश में रखे गये
(ओवरसीज) बैंक खाते में (ख) प्राधिकृत व्यापारी की
अंतरण/प्रेषण भी शामिल है कूट संख्या _____
(कृपया विनिर्दिष्ट करें)

खण्ड - 'आ'

(निर्यात किये गये सॉफ्टवेयर पैकेजों/उत्पादों पर रॉयल्टी की प्राप्ति के लिए)

12. निर्यात किये गये सॉफ्टवेयर
पैकेज(जों)/उत्पाद(दों) के ब्यौरे

(क) निर्यात की तारीख : _____

(ख) जीआर/पीपी/सॉफ्टवेक्स फॉर्म सं.
जिस पर निर्यात घोषित किये गये थे : _____

(ग) रॉयल्टी करार के ब्यौरे

रॉयल्टी का प्रतिशत और राशि _____

रॉयल्टी करार की अवधि (रॉयल्टी
करार की प्रति संलग्न करें, यदि
पहले पंजीकृत न किया गया हो) _____

13. रॉयल्टी मूल्य किस प्रकार वसूल किया जायेगा
(रॉयल्टी करार में परिभाषित किये गये अनुसार) _____

14. रॉयल्टी राशि की गणना
(विदेशी ग्राहक से पत्राचार की प्रति संलग्न करें) _____

15. भारत में पदनामित प्राधिकृत व्यापारी का नाम _____
और पता जिसके माध्यम से भुगतान प्राप्त हुआ प्राधिकृत व्यापारी
है/होनेवाला है _____ की कूट सं. _____

खण्ड - 'इ'

16. **निर्यातक द्वारा घोषणा**

मैं/हम एतद्वारा यह घोषित करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम सॉफ्टवेयर के खरीदार हूँ/हैं जिसके संबंध में घोषणा की गयी है और यह कि ऊपर दिये गये विवरण सही हैं और खरीदार द्वारा प्राप्त होनेवाला मूल्य करार किये गये और ऊपर घोषित निर्यात मूल्य को दर्शाता है। मैं/हम यह भी घोषित करता हूँ/करते हैं कि यह सॉफ्टवेयर प्राधिकृत और विधिसम्मत डाटाकॉम लिंकों द्वारा विकसित और निर्यात किया गया है।

मैं/हम यह वचन देता हूँ/देते हैं कि मैं/हम विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत बनाये गये विनियमों में विनिर्दिष्ट तरीके से _____ तक अथवा उससे पूर्व (अर्थात् भुगतान की नियत तारीख अथवा बीजक की तारीख/एक माह के भीतर अंतिम बीजक की तारीख, जो भी पहले हो) उपर्युक्तानुसार निर्यात किये गये सॉफ्टवेयर का पूरा मूल्य दशनिवाली विदेशी मुद्रा ऊपर दिये गये बैंक को सुपुर्द कर दूंगा/देंगे।

स्थान :
तारीख :

मुहर

निर्यातक के हस्ताक्षर

नाम : _____

पदनाम : _____

संलग्नक :

- (1) निर्यात संविदा की प्रति [7 (क)]
- (2) रॉयल्टी करार की प्रति [12 (ग)]
- (3) विदेशी ग्राहक से पत्राचार की प्रति [14]

सूचना तकनीक मंत्रालय की ओर से सक्षम प्राधिकारी
(अर्थात् एसटीपीआई/ईपीजेड/एसईजेड) के उपयोग के लिए स्थान

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर वर्णित सॉफ्टवेयर वास्तविक रूप से प्रेषित किया गया है और निर्यातक द्वारा घोषित निर्यात/रॉयल्टी मूल्य सही पाया गया है और हमारे द्वारा स्वीकार किया गया है।

स्थान :
दिनांक :

(सूचना तकनीक मंत्रालय की ओर से एसटीपीआई/ ईपीजेड/
एसईजेड के नामित अधिकारी के हस्ताक्षर)

मुहर

नाम : _____

पदनाम : _____

प्राधिकृत व्यापारियों के उपयोग के लिए

प्राधिकृत व्यापारी द्वारा प्रमाणपत्र

प्राधिकृत व्यापारी का यूनिफॉर्म कोड नंबर . _____

_____ को समाप्त अवधि के लिये _____ संबंधी 'आर' विवरण (नास्ट्रो/वोस्ट्रो)
(मुद्रा का नाम) के साथ रिजर्व बैंक को भेजे गये ईएनसी विवरण
में शामिल 'सॉफ्टेक्स फार्म', _____

हम प्रमाणित व पुष्टि करते हैं कि इस फार्म पर घोषित निर्यातों की प्राप्तियों संबंधी निम्नलिखित _____ हमें प्राप्त हो
गयी है। (मुद्रा) (राशि)

प्राप्ति की तारीख	मुद्रा	(देश) स्थित नास्ट्रों खाते में जमा		(देश) स्थित बैंक के अनिवासी रुपया खाते में नामे		‘आर -विवरण’, जिसके साथ वसूली की सूचना भा.रि.बैं. को दी गयी, की अवधि
		हमारे नाम पर	** के नाम पर	हमारे पास धारित	** के पास धारित	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

(** प्राधिकृत व्यापारी की संबंधित शाखा का नाम लिखें)

प्राप्ति की कोई अन्य पद्धति (स्पष्ट करें) _____

स्थान : _____

तारीख : _____

मुहर

_____ (प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

नाम : _____

पदनाम : _____

प्राधिकृत व्यापारी _____

का नाम और पता _____

विदेशी मुद्रा नियंत्रण

सॉफ्टवेयर निर्यात घोषणा (सॉफ्टवेक्स) फॉर्म

(डाटा कम्युनिकेशन लिंक के माध्यम से सॉफ्टवेयर निर्यात और सॉफ्टवेयर पैकेज/निर्यात उत्पादों पर रॉयल्टी की प्राप्ति के लिए घोषणा)

फॉर्म नं: एबी

तीसरी प्रति

- निर्यातक का नाम और पता
- एसटीपीआई केंद्र, जिसके क्षेत्राधिकार में इकाई स्थित है
- आयात-निर्यात कूट संख्या
- निर्यातक का संवर्ग : एसटीपी/ईएचटीपी/ईपीजेड/एसईझेड/100 प्रतिशत ईओयू/डीटीए इकाई
- देश और निर्यातक इकाई (यदि कोई हो) तो उसके साथ संबंध सहित खरीदार का नाम और पता
- बीजक की तारीख और नंबर
- क) क्या एसटीपीएल के साथ निर्यात संविदा/खरीद आदेश पहले पंजीकृत किया गया है (यदि 'नहीं' तो कृपया संविदा/खरीद आदेश की प्रति संलग्न करें) हाँ
- ख) क्या संविदा में रॉयल्टी के भुगतान की शर्त निहित है हाँ नहीं

खण्ड - 'अ'

(डाटा कम्युनिकेशन लिंक के माध्यम से निर्यात)

- प्राधिकृत डाटाकॉम सेवा प्रदाता का नाम एसटीपीआई/वीएसएनएल/डॉट/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

9. निर्यात किये गये सॉफ्टवेयर का प्रकार (कृपया बाईं तरफ उचित बॉक्स में '✓' चिह्न लगाएं)

(क) कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर

भारिबैं कूट संख्या

डाटा एंट्री कार्य और कन्वर्जन
सॉफ्टवेयर डाटा प्रोसेसिंग

9 0 6

सॉफ्टवेयर विकास

9 0 7

सॉफ्टवेयर उत्पाद, पैकेज

9 0 8

अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

9 0 9

(ख) अन्य सॉफ्टवेयर

वीडिओ/टी.वी. सॉफ्टवेयर

9 1 0

अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

9 1 1

10. निर्यात मूल्य का विश्लेषण

मुद्रा

राशि

(क) संपूर्ण निर्यात मूल्य जिसमें से :-

i) प्रेषण प्रभार के बिना निर्यातों
का सही मूल्य

ii) बीजक में शामिल प्रेषण प्रभार

(ख) प्रेषण प्रभार (यदि विदेश स्थित ग्राहक
द्वारा अलग से देय हो, तो)

(ग) घटाएं : एजेंसी कमीशन,%
की दर पर

(घ) भा.रि.बैं. द्वारा अनुमत अन्य
कोई कटौतियां (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

(ङ) वसूल की जाने वाली राशि
(क +ख) - (ग +घ)

11. निर्यात मूल्य किस प्रकार वसूल किया जाएगा

(वसूली का प्रकार)(कृपया उचित बॉक्स पर '✓' चिह्न लगाएं)

(क) साखपत्र के अंतर्गत (क) प्राधिकृत व्यापारी का

नाम और पता _____

(ख) प्राधिकृत व्यापारी की

कूट संख्या _____

(ख) बैंक गारंटी

(क) प्राधिकृत व्यापारी का
नाम और पता _____

(ख) प्राधिकृत व्यापारी की
कूट संख्या _____

(ग) अन्य कोई व्यवस्था, उदाहरण- (क) प्राधिकृत व्यापारी का
स्वरूप अग्रिम भुगतान आदि नाम और पता _____
जिसमें विदेश में रखे गये
(ओवरसीज) बैंक खाते में (ख) प्राधिकृत व्यापारी की
अंतरण/प्रेषण भी शामिल है कूट संख्या _____
(कृपया विनिर्दिष्ट करें)

खण्ड - 'आ'

(निर्यात किये गये सॉफ्टवेयर पैकेजों/उत्पादों पर रॉयल्टी की प्राप्ति के लिए)

12. निर्यात किये गये सॉफ्टवेयर
पैकेज(जों)/उत्पाद(दों) के ब्यौरे

(क) निर्यात की तारीख : _____

(ख) जीआर/पीपी/सॉफ्टवेक्स फॉर्म सं.
जिस पर निर्यात घोषित किये गये थे : _____

(ग) रॉयल्टी करार के ब्यौरे

रॉयल्टी का प्रतिशत और राशि _____

रॉयल्टी करार की अवधि (रॉयल्टी
करार की प्रति संलग्न करें, यदि
पहले पंजीकृत न किया गया हो) _____

13. रॉयल्टी मूल्य किस प्रकार वसूल किया जायेगा
(रॉयल्टी करार में परिभाषित किये गये अनुसार) _____

14. रॉयल्टी राशि की गणना
(विदेशी ग्राहक से पत्राचार की प्रति संलग्न करें) _____

15. भारत में पदनामित प्राधिकृत व्यापारी का नाम _____
और पता जिसके माध्यम से भुगतान प्राप्त हुआ प्राधिकृत व्यापारी
है/होनेवाला है की कूट सं. _____

खण्ड - 'इ'

16. निर्यातक द्वारा घोषणा

मैं/हम एतद्द्वारा यह घोषित करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम सॉफ्टवेयर के विक्रेता हूँ/हैं जिसके अंतर्गत घोषणा की गयी है और यह कि ऊपर दिये गये विवरण सही हैं और खरीदार द्वारा प्राप्त होनेवाला मूल्य करार किये गये और ऊपर घोषित निर्यात मूल्य को दर्शाता है। मैं/हम यह भी घोषित करता हूँ/करते हैं कि यह सॉफ्टवेयर प्राधिकृत और विधिसम्मत डाटाकॉम लिंकों द्वारा विकसित और निर्यात किया गया है।

मैं/हम यह वचन देता हूँ/देते हैं कि मैं/हम विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत बनाये गये विनियमों में विनिर्दिष्ट तरीके से _____ तक अथवा उससे पूर्व (अर्थात् भुगतान की नियत तारीख अथवा बीजक की तारीख/एक माह के भीतर अंतिम बीजक की तारीख, जो भी पहले हो) उपर्युक्तानुसार निर्यात किये गये सॉफ्टवेयर का पूरा मूल्य दर्शानेवाली विदेशी मुद्रा ऊपर दिये गये बैंक को सुपुर्द कर दूंगा/देंगे।

स्थान : _____
तारीख : _____

निर्यातक के हस्ताक्षर

मुहर नाम : _____
पदनाम : _____

संलग्नक :

- (1) निर्यात संविदा की प्रति [7 (क)]
- (2) रॉयल्टी करार की प्रति [12 (ग)]
- (3) विदेशी ग्राहक से पत्राचार की प्रति [14]

सूचना तकनीक मंत्रालय की ओर से सक्षम प्राधिकारी

(अर्थात् एसटीपीआई/ईपीजेड/एसईजेड) के उपयोग के लिए स्थान

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर वर्णित सॉफ्टवेयर वास्तविक रूप से प्रेषित किया गया है और निर्यातक द्वारा घोषित निर्यात/रॉयल्टी मूल्य सही पाया गया है और हमारे द्वारा स्वीकार किया गया है।

स्थान :

दिनांक :

मुहर

(सूचना तकनीक मंत्रालय की ओर से एसटीपीआई/ ईपीजेड/
एसईजेड के नामित अधिकारी के हस्ताक्षर)

नाम : _____

पदनाम : _____

बीजक मूल्य मुद्रा आर राशि	आस्थगित भुगतान की शर्त के अंतर्गत माल का मूल्य (ब्याज समेत)	आस्थगित किस्तों की कुल राशि जो प्राप्त हो चुकी है (ब्याज समेत)	नियत तारीख के बाद कुल बकाया किस्तों की राशि(ब्याज समेत)	बकाया राशि का रुपया समतुल्य	क्या ईसीजीसी रक्षा प्राप्त की गई है ? हां/नहीं	जारी बैंक प्रमाणपत्र की सं. व तारीख	टिप्पणी
	मुद्रा राशि	मुद्रा राशि	मुद्रा राशि				
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.

जोड़

भाग III : सारांश

भाग I

भाग II

	'नकद' निर्यात	कन्साइनमेंट आधार निर्यात	अनाहरित शेष	जोड़	आस्थगित भुगतान आधार पर निर्यात
	रुपए	रुपए	रुपए	रुपए	रुपए

-----को बकाया

(पिछली छमाही का अंत)

जोड़े:- रिपोर्ट की छमाही अवधि के दौरान जोड़

घटाएं: छमाही के दौरान हटाएं

-----को निवल बकाया

(रिपोर्ट की छमाही का अंत)

हम प्रमाणित करते हैं कि रिपोर्ट के तहत छमाही के अंत में निर्धारित अवधि / नियत तारीख तक वसूली के लिए बकाया सभी निर्यात बिल अर्थात खरीदे गए निर्यात बिल, बेचान किए गए और उगाही के लिए भेजे गए, बिलों को इस विवरण में शामिल किया गया है।

स्थान:

मुहर

(प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

तारीख:

नाम:

पदनाम:

संलग्नक-3

(इ-15 स्वयं बट्टे खाते डालना और अवधि विस्तार)

(भाग - अ)

31 दिसंबर को एक कैलेंडर वर्ष के दौरान निर्यात कार्यनिष्पादन के ब्योरे देते हुए निर्यातकों द्वारा प्राधिकृत व्यापारियों को प्रस्तुत किया जानेवाला वार्षिक विवरण

(राशि 000 रुपए में)

यथा लागू 180 दिन अथवा उससे अधिक अवधि के लिए निर्धारित अवधि के अंदर देय कुल निर्यात प्राप्त जीआर/ सॉफ्टेक्स/ राशि एसडीएफ/ पीपी फार्म की संख्या	यथा लागू 180 दिन अथवा उससे अधिक अवधि के लिए निर्धारित अवधि के अंदर वसूले गए कुल निर्यात प्राप्त जीआर/सॉफ्टेक्स/ राशि एसडीएफ/पीपी फार्मों की संख्या	यथा लागू 180 दिन अथवा अधिक अवधि की निर्धारित अवधि के अंदर नहीं वसूले गए निर्यात प्राप्त जीआर/ सॉफ्टेक्स/ राशि एसडीएफ/ पीपी फार्मों की संख्या
	पूर्णतः वसूले गए अंशतः वसूले गए	

(भाग आ)

(राशि 000 रुपए में)

निर्धारित अवधि में वसूले न गए निर्यात बिलों के ब्योरे (अंशतः या पूर्णतः) जीआर/ सॉफ्टेक्स/ राशि एसडीएफ/पीपी सं.	विस्तार/ बीजक मूल्य में कटौती/ निर्यातक द्वारा स्वयं बट्टे खाते डालने के ब्योरे राशि संशोधित नियत तारीख @	विस्तार/ बीजक मूल्य में कटौती/ प्राधिकृत व्यापारी से बट्टा मांगना राशि संशोधित निर्यात तारीख @
1	2	3
कुल		

- टिप्पणी :
1. निर्यातक भाग आ में स्तंभ (3) में बिल के संबंध में समय विस्तार के लिए प्राधिकृत व्यापारी/ भारतीय रिजर्व बैंक से संपर्क करें।
 2. भाग आ में स्तंभ (2) में बिलों का कुल योग भाग अ के स्तंभ (1) में दिए गए के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।
 3. 2005 से आगे भाग अ के स्तंभ 1 के बिलों में वे बिल भी शामिल होंगे जिन्हें निर्यातक ने स्वयं अथवा प्राधिकृत व्यापारी/ भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से वसूली के लिए समय विस्तार दिया है।
 4. बट्टे खाते डाले गए निर्यात बिलों के संबंध में (बीजक मूल्य में कटौती सहित) निर्यात प्रोत्साहन के अभ्यर्पण के सबूत संलग्न किए जाएं।

अनुबंध-4

3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.14/2000-आरबी

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा विनियम में प्राप्ति और भुगतान की विधि के संबंध में निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (i) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति और भुगतान की विधि) विनियमावली, 2000 कहा जाए ;
- (ii) ये पहली जून, 2000 से लागू होंगे ।

2. परिभाषा

इन विनियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

- (i) 'अधिनियम' से विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) अभिप्रेत है;
- (ii) 'प्राधिकृत व्यापारी' से अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्राधिकृत व्यापारी के रूप में प्राधिकृत व्यक्ति अभिप्रेत है ।
- (iii) 'प्राधिकृत बैंक' से 'प्राधिकृत व्यापारी' के अतिरिक्त कोई अन्य बैंक अभिप्रेत है , जो कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा , भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों से जमा राशियां स्वीकार करने के लिए 'प्राधिकृत हो ।
- (iv) एफसीएनआर/एनआरई खाता से वह खाता अभिप्रेत है , जो कि विदेशी मुद्रा प्रबंध (निक्षेप) विनियम 2000 के अनुसार खोला गया और परिचालित एक एफसीएनआर अथवा एनआरई खाता ।
- (v) अनुमत मुद्रा से एक विदेशी मुद्रा अभिप्रेत है जो मुक्त रूप से परिवर्तनीय हो ।
- (vi) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है उनका अर्थ वही होगा जैसा कि अधिनियम में क्रमशः निर्धारित किया गया है।

3. विदेशी मुद्रा विनियम में प्राप्ति विधि

(1) प्राधिकृत व्यापारी द्वारा विदेशी मुद्रा विनियम की प्रत्येक प्राप्ति , चाहे वह किसी बाहरी देश से आनेवाला विप्रेषण (नेपाल और भूटान के अलावा) हो अथवा उसकी किसी शाखा अथवा भारत के बाहर के किसी संपर्की के जरिये भारत से निर्यात किये गये माल की प्रतिपूर्ति की राशि हो अथवा अन्य कोई अदायगी हो , निम्नवत् होगी :-

	समूह	विदेशी मुद्रा विनियम की प्राप्ति-विधि
(1)	एशियन क्लियरिंग यूनियन के सदस्य देश (नेपाल को छोड़कर) अर्थात् बांग्लादेश, इस्लामिक रिपब्लिक ईरान, म्यांमार, पाकिस्तान और श्रीलंका	सदस्य देश के भारत में एशियन क्लियरिंग यूनियन डॉलर खाते जिसमें कि अन्य पार्टी के लेनदेन होते हैं , को डेविट करके अथवा सदस्य देश के संपर्की बैंक में रखे गये प्राधिकृत व्यापारी के एशियन क्लियरिंग यूनियन खाते में क्रेडिट करके किये जाने वाले अनुमत सभी चालू खाता लेनदेनों के भुगतान के लिए ।
(2)	उपर्युक्त (1) में उल्लिखित को छोड़कर	(क) एशियन क्लियरिंग यूनियन के किसी सदस्य देश अथवा नेपाल अथवा भूटान

अन्य सभी देश	को छोड़कर किसी अन्य देश में कार्यरत किसी बैंक के खाते से रपयों में भुगतान । (ख) किसी अनुमत मुद्रा में भुगतान
--------------	---

(2) भारत से निर्यात के संबंध में ,जैसा कि घोषणापत्र में कहा गया है , क्रेता के देश पर विचार न करते हुए अंतिम गंतव्य देश की उपयुक्त मुद्रा में निर्यात का भुगतान प्राप्त किया जायेगा ।

4. कतिपय मामलों निर्यात का भुगतान

विनियम 3 ,में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, निर्यात का भुगतान निम्नवत् प्राप्त किया जायेगा :-

- i) भारत के दौरे के दौरान क्रेता से बैंक ड्राफ्ट, चेक, भुगतान आदेश, विदेशी मुद्रा नोट /यात्री चेक के रूप में बशर्ते कि इस प्रकार प्राप्त की गयी विदेशी मुद्रा निर्धारित समय के भीतर उस प्राधिकृत व्यापारी के पास , जिसका क्रेता ग्राहक हो , जमा कर देना चाहिये।
- ii) प्राधिकृत व्यापारी अथवा भारत स्थित प्राधिकृत बैंक में रखे क्रेता के एफसीएनआर/एनआरई खातों से डेवित करके ।
- iii) जहाँ पर ऐसे भुगतान क्रेता द्वारा क्रेडिट कार्ड से भुगतान किया जाता है , क्रेडिट कार्ड सर्विसिंग बैंक से क्रेता द्वारा हस्ताक्षरित पर्ची पर रपयों में ।
- iv) यदि प्रति निर्यात की राशि दो लाख से अधिक न हो तो प्राधिकृत व्यापारी के पास किसी एक्सचेंज हाउस के नाम रखे रुपया खाते से ।
- v) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत व्यापारियों को जारी निर्देशों के अनुरूप , जहाँ पर निर्यात केंद्रीय सरकार और विदेशी सरकार अथवा निर्यात-आयात बैंक के साथ विदेश में किसी राज्य की किसी वित्तीय संस्था के साथ निष्पादित /हुए ऋण समझौते के तहत सुरक्षित है ।

5.विदेशी मुद्रा विनियम में भुगतान विधि

(1) प्राधिकृत व्यापारी द्वारा विदेशी मुद्रा विनियम का कोई भुगतान, चाहे वह भारत विप्रेषण (नेपाल और भूटान के अलावा) हो अथवा उसकी किसी शाखा अथवा भारत के बाहर के किसी संपर्की के जरिये भारत को आने वाले आयातित माल के भुगतान की राशि हो अथवा अन्य कोई अदायगी हो , निम्नवत् किया जायेगा :-

समूह	विदेशी मुद्रा विनियम की प्राप्ति-विधि
(1) एशियन क्लियरिंग यूनियन के सदस्य देश (नेपाल को छोड़कर) अर्थात् बांगलादेश, इस्लामिक रिपब्लिक ईरान, म्यांमार, पाकिस्तान और श्रीलंका	सदस्य देश के भारत में एशियन क्लियरिंग यूनियन डॉलर खाते जिसमें कि अन्य पार्टी के लेनदेन होते हैं , में क्रेडिट करके अथवा सदस्य देश के संपर्की बैंक में रखे गये प्राधिकृत व्यापारी के एशियन क्लियरिंग यूनियन खाते से डेवित करके किये जाने वाले अनुमत सभी चालू खाता लेनदेनों के भुगतान ।
(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित को छोड़कर अन्य सभी देश	(क) एशियन क्लियरिंग यूनियन के किसी सदस्य देश अथवा नेपाल अथवा भूटान को छोड़कर किसी अन्य देश में कार्यरत किसी बैंक के खाते से रपयों में भुगतान । (ख) किसी अनुमत मुद्रा में भुगतान

(2) भारत को आनेवाले आयात के संबंध में ,

क) जहाँ पर माल की शिपिंग एशियन क्लियरिंग यूनियन के किसी सदस्य देश (नेपाल अथवा भूटान को छोड़कर) से की जाती है और आपूर्तिकर्ता , एशियन क्लियरिंग यूनियन के किसी सदस्य देश के अलावा किसी अन्य देश का निवासी हो , वहाँ विनियम 5 के समूह (2) के देशों के लिए निर्धारित तरीके से भुगतान किया जाए ।

ख) अन्य सभी मामलों में , शिपमेंट देश की उपयुक्त मुद्रा में भुगतान किया जायेगा ।

6. कतिपय मामलों निर्यात का भुगतान

विनियम 5, में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

1) जहाँ पर आयात केंद्रीय सरकार और विदेश की किसी राज्य सरकार के साथ निष्पादित विशेष व्यवस्था के तहत सुरक्षित है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत व्यापारियों को जारी निर्देशों के अनुरूप भुगतान किया जाए।

2.) उप-विनियम (1) के अनुसार भारत का रहने वाला एक व्यक्ति अपने अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के जरिये विदेशी मुद्रा विनियम संबंधी भुगतान कर सकता है, बशर्ते कि, जिन लेनदेनों के लिए ऐसा भुगतान किया जाता है, वह अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियम और विनियमों के अनुरूप हों।

अनुबंध-5

(मास्टर परिपत्र के भाग-ए-1 का पैराग्राफ 25)

1.	मस्टर्ड/रेपसीड सीड
2.	दालें और बीन्स
3.	हरी सब्जी
4.	फल
5.	लहसुन
6.	प्याज
7.	मिर्च
8.	मसाले (लौंग, तेजपात, जायफल, मैक को छोड़कर)
9.	बांस
10.	टीक को छोड़कर छोटे वन उत्पाद
11.	पान और पत्तियां
12.	स्थानीय उपयोग के लिए खाद्य वस्तुएं
13.	तंबाकू
14.	टमाटर
15.	सरकण्डा
16.	शीशम
17.	रेशिन
18.	कोरियंडर सीड्स
19.	सोयाबीन
20.	सूरजमुखी के बीज
21.	कत्था
22.	सिरका
23.	दोनों पक्षों द्वारा आम सहमति के आधार पर अन्य वस्तुएं
	अनुबंध-6

	(मास्टर परिपत्र के भाग-ए-1 का पैराग्राफ 4)
	ईएफसी
(निर्यातकों द्वारा भारत अथवा विदेश में किसी बैंक में विदेशी मुद्रा खाता खोलने के लिए आवेदनपत्र)	
अनुदेश:	
1.	आवेदनपत्र दो प्रतियों में भरा जाये और भारत में विदेशी मुद्रा का कारोबार करने वाले बैंक की नामित शाखा , जिसमें विदेशी मुद्रा खाता रखा जाना है /जो कि भारतीय रिजर्व बैंक, जिसके कि क्षेत्राधिकार में निर्यातक रहता है , में रखे गये खाते के लेनदेनों पर निगरानी रखेगा , के जरिये भेजा जाए ।
2.	भारतीय रिजर्व बैंक को आवेदनपत्र अग्रेसित करने से पूर्व प्राधिकृत बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए कि आवेदनपत्र विधिवत् भरा गया है , उसकी अच्छी तरह से जाँच कर ले ।
प्रलेखन :	
3.	निर्यातक का अपने लेखापरीक्षक द्वारा जारी विगत 3 वर्षों के दौरान वसूल किए गए तथा नियत तारीख के बाद बकाया निर्यात बिल निर्दिष्ट करते हुए विधिवत् प्रमाणित घोषणापत्र ।
4.	विगत 3 वर्षों के दौरान किये गये निर्यातों का ब्योरा देते हुए लेखापरीक्षक द्वारा जारी प्रमाणपत्र ।
5.	ऋण/ ओवरड्राफ्ट /प्रस्तावित ऋण-क्रम सुविधा का उल्लेख करते हुए समुद्रपारीय बैंक द्वारा जारी पत्र की प्रमाणित प्रतियां ।
6.	दिये गये विदेशी मुद्रा ऋण के संबंध में परिपक्वता पैटर्न का उल्लेख करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन की प्रमाणित प्रतियां ।

1.	निर्यातक का नाम व पता			
2.	आयातक का नाम व पता			
3.	बैंक/शाखा जिसके साथ विदेशी मुद्रा खाता रखना प्रस्तावित है , का नाम व पता			
4.	उस स्थिति में जब कि भारत से बाहर विदेशी मुद्रा खाता रखा जाना है , भारत में उस बैंक/ शाखा का नाम व पता जो कि विदेशी मुद्रा खाते के जरिये किये जाने वाले लेनदेनों पर निगरानी रखेगा ।			
5.	विगत 3 वर्षों के दौरान किये गये निर्यातों और वसूली तथा -----के अंत में बकाया	वित्तीय वर्ष	कुल	वसूल की गयी राशि (रु.)
				-----के अंत में बकाया(रु.)

6.	कैलेंडर वर्ष के दौरान किये गये आयातों का ब्योरा ,देश, राशि , विगत 3 वर्षों के दौरान देश-वार	वित्तीय वर्ष	देश	राशि (रु)	
7.	उस स्थिति में जब कि भारत से बाहर विदेशी मुद्रा खाता रखा जाना है , ऋण/ओवरड्राफ्ट /प्रस्तावित ऋण-क्रम सुविधा लेने हेतु जिस बैंक के साथ व्यवस्था की गयी है , उसका उल्लेख करें ।				
8	आगामी वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा खाते जमा की जाने वाली निर्यात- प्राप्तियों और विभिन्न मदों के अंतर्गत विदेशी मुद्रा खाते से किये जाने वाले भुगतानों का तिमाहीवार पूर्वानुमान				
9.	क्या कभी निर्यात का नाम चेतावनी सूची में रखा गया है / था ?				
10.	निर्यातक द्वारा लिए गए विदेशी मुद्रा ऋण के ब्योरे और उनकी परिपक्वता पैटर्न				
11.	कोई अन्य जानकारी जिसे आवेदक अपने आवेदनपत्र के समर्थन में देना चाहे ।				
स्थान : -----					
दिनांक : -----					
		मुहर	आवेदक/प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर		
		नाम:			
		पदनाम:			
		प्राधिकृत व्यापारी का नाम व पता			

(प्राधिकृत व्यापारी के अभिमत के लिए स्थान)

भारत में बैंक की उस शाखा के अभिमत जिसके पास खाता रखने का प्रस्ताव है अथवा विदेश में , यथास्थिति , किसी बैंक में रखे गये खाते के लेनदेनों पर निगरानी रखेगा ।

स्थान : -----					
दिनांक : -----					
		मुहर	आवेदक/प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर		
		नाम:			
		पदनाम:			
		प्राधिकृत व्यापारी का नाम व पता			

परिशिष्ट

परिपत्रों की सूची जिन्हें माल और सेवाओं के निर्यात पर मास्टर परिपत्र में समेकित किया गया है

क्रमांक	परिपत्र संख्या		दिनांक
1.	ए.डी. (एमए सिरीज) परिपत्र सं.	15	31मई 1993
2.	एपी(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.	12	9 सितंबर 2000
3.	एपी(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.	4	27 अगस्त 2001
4.	एपी(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.	5	27 अगस्त 2001
5.	एपी(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.	6	24 सितंबर 2001
6.	एपी(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.	9	25 अक्टूबर 2001
7.	एपी(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.	10	1 नवंबर 2001
8.	एपी(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.	20	जनवरी 28, 2002
9.	एपी(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.	30	26 मार्च 2002
10.	एपी(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.	34	1अप्रैल 2002
11.	एपी(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.	35	1अप्रैल 2002
12.	एपी(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.	38	12अप्रैल 2002
13.	एपी(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.	53	27 जून 2002
14.	एपी(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.	54	29 जून 2002
15.	एपी(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.	2	4जुलाई 2002
16.	एपी(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.	10	14 अगस्त 2002
17.	एपी(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.	11	14 अगस्त 2002
18.	एपी(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.	12	28 अगस्त 2002
19.	एपी(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.	21	16 सितंबर 2002
20.	एपी(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.	28	3 अक्टूबर 2002
21.	एपी(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.	33	23 अक्टूबर 2002
22.	एपी(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.	34	31 अक्टूबर 2002
23.	एपी(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.	41	8 नवंबर, 2002
24.	एपी(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.	61	14 दिसंबर 2002
25.	एपी(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.	62	17 दिसंबर 2002
26.	एपी(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.	78	14 फरवरी 2003
27.	एपी(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.	91	1 अप्रैल 2003
28.	एपी(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.	94	26 अप्रैल 2003
29.	एपी(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.	100	2 मई 2003
30.	एपी(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.	104	31 मई 2003
31.	एपी(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.	105	16 जून 2003
32.	एपी(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.	8	16 जून 2003

33.	एपी(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.	12	20 अगस्त 2003
34.	एपी(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.	20	23सितंबर 2003
35.	एपी(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.	22	24 सितंबर 2003
36.	एपी(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.	26	3 अक्तूबर 2003
37.	एपी(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.	30	21 अक्तूबर 2003
38.	एपी(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.	32	28अक्तूबर 2003
39.	एपी(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.	40	5 दिसंबर 2003
40.	एपी(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.	61	31 जनवरी 2004
41.	एपी(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.	68	11फरवरी, 2004
42.	एपी(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.	73	20फरवरी, 2004
43.	एपी(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.	94	4 जून 2004
44.	एपी(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.	96	15 जून 2004
45.	एपी(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.	97	21 जून 2004
46.	एपी(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.	9	1 सितंबर 2004
47.	एपी(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.	10	13 सितंबर 2004
48.	एपी(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.	25	1 नवंबर 2004
49.	एपी(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.	21	10 जनवरी 2006
50.	एपी(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.	31	21 अप्रैल 2006
51.	एपी(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.	32	21 अप्रैल 2006
52.	एपी(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.	15	30 नवंबर 2006
53.	एपी(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.	18	4 दिसंबर 2006
54.	एपी(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.	26	8 जनवरी 2007
55.	एपी(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.	33	28 फरवरी 2007
56.	एपी(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.	37	5 अप्रैल 2007
57.	एपी(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.	13	6 अक्तूबर 2007
58.	एपी(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.	49	3 जून 2008
59.	एपी(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.	50	3 जून 2008